बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 101/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – श्री बिन्देश्वरी मध्य विद्यालय, ससौला (प्रखंड–सुप्पी) सीतामढ़ी।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – लेखा वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विकास (प्राथमिक शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षण अवधि के नियंत्रण पदा0

के नाम,पदनाम एवं कार्यकाल – 1. श्री सचीन्द्र कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक

दि0 1.04.06 से 23.07.08 तक

2. श्री मनोज कुमार शर्मा , जिला शिक्षा अधीक्षक

दि0 24.07.08 से दि0 18.12.10 तक

3. श्री मिलीन्द्र कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक (प्रभारी) दि0 19.12.10 से 31.03.11 तक।

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल – श्री प्रमोद प्रसाद, प्रधानाध्यापक

दिनांक 01.04.2006 से अद्यतन

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम – श्री प्रमोद प्रसाद, प्रधानाध्यापक।

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री दुर्गानन्द झा ,व0 अं0– 1

2. श्री सुधीर कुमार मिश्र , व0 अं0–2

(ग) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 15.11.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 09.12.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 11 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

1. अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण

2. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एंव तिथि – 3286/15.9.1960

3. कार्यालय का कार्यक्षेत्र –

यह गैर सरकारी सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय है तथा इसमें कक्षा 6 से 8 तक के छात्र–छात्राओं का शिक्षण होता है। अंकेक्षित अवधि में मध्याहन् भोजन का संचालन नही किया गया था।

4. वित्तीय स्त्रोत :– अनुदान

5. कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– कोषागार के माध्यम से निकासी नही होने के कारण सत्यापन नही किया गया।

6. महालेखाकार का पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– अंकेक्षण नही किया गया था।

7. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– पूर्व में अंकेक्षण नही किया गया था।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आंवटन की स्थिति में :– आंवटन प्राप्त नही था।

(2) अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया – हाँ। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में पूर्व की जमा शेष राशि से भी व्यय किया गया था। आय– व्यय विवरणी परिशिष्ट –'ख' पर द्रष्टव्य है।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – केवल वर्ष 2010–11 के अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रेषित करने का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, शेष अवधि की स्थिति अंकेक्षण में अस्पष्ट रहा।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– रोकड़ पंजी का संधारण ही नही किया गया था। बैंक खाता से निकासी की गयी राशि की व्यय का एक पंजी संधारित थी जिसमें कोई शेष नही था। बैंक खाता की पासबुक एंव अन्य अभिलेखों के आधार पर अंकेक्षण में आय– व्यय विवरणी वर्षवार तैयार की गयी जिसे परिशिष्ट –'ख' पर दर्शाया गया है।

(5) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– रोकड़ पुस्त संधारित नही किये जाने तथा संधारित व्यय पंजी में कोई संवरण शेष नही रहने के कारण उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा – ससौला के खाता सं0 – 2208 में ही समस्त राशि जमा थी जिसका संवरण शेष अंकेक्षित अवधि की वर्षो में निमांकित थी।

प्रारम्भ शेष	दि0 01.04.06	रू0 64960.00
संवरण शेष	दि0 31.03.07	रू0 11730.00
संवरण शेष	दि0 31.03.08	रू0 7794.00
संवरण शेष	दि0 31.03.09	रू0 42850.00
संवरण शेष	दि0 31.03.10	रू0 112140.00
संवरण शेष	दि0 31.03.11	रू0 115050.00

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

पदों का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक/कम
1 प्रधानाध्यापक	1	1	–
2 सहायक शिक्षक	5	2	3 कम। एक स0 शिक्षक एवं एक प्रखंड शिक्षक कार्यरत। रिक्त पदों को भरा जाना अपेक्षित है।

(5) रू0 2500.00 कल्पित व्यय दिखाकर दुर्विनियोग :–

बैंक खाता से दिनांक 20.4.07 को रू0 2500.00 की निकासी कर श्री अनिल सिंह , कनीय अभिंयता को शीलापट्ट बनाने हेतु दिनांक 25.04.07 को व्यय – पंजी में भुगतान अंकित किया गया था। इस भुगतान के समर्थन में कोई अभिश्रव या प्राप्तकर्त्ता का प्राप्ति रसीद नही दिखाया गया तथा शीलापट्ट भी नही बना था जिसके कारण उक्त रू0 2500.00 भुगतान की पुष्टि नही हो सकी। विद्यालय में किसी भी योजना अन्तर्गत भवन आदि का निर्माण नही हुआ था अर्थात् शीलापट्ट की कोई आवश्यकता भी नही थी। इस सबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में भी संतोषप्रद उत्तर नही दिया गया। इस प्रकार रू0 2500.00 की राशि काल्पनिक व्यय दिखाकर दुर्विनियोग किया गया स्पष्ट हुआ।

अतः उक्त रू0 2500.00 की राशि का दुर्विनियोग करने के लिए दोषी एवं उत्तरदायी व्यक्ति पर विधि सम्मत कारवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

(6) रू0 2100.00 प्रावधान के विरूद्ध पोशाक मद में भुगतान राशि वसूली योग्य :–

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना मद के व्यय की जाँच में पाया गया कि चेक सं0 0173901 दिनांक 10.12.07 द्वारा कुल 77 छात्राओं को रू0 700.00 प्रत्येक की दर कुल रू0 53900.00 डाकघर खाता के माध्यम से भुगतान किया गया था। संबंधित भुगतान सूची की जाँच से स्पष्ट हुआ कि निम्नलिखित तीन छात्राओं का नाम वर्ष 2007 की उपस्थिति पंजी में अंकित ही नही था अर्थात् विद्यालय की नियमित छात्रा नही थी। विद्यालय में नियमित रूप से 75 प्रतिशत उपस्थित हो रही छात्राओं को ही पोशाक मद की राशि भुगतान किया जाना चाहिए था।

क्रम0 सं0	छात्रा का नाम एवं वर्ग	पिता का नाम	खाता सं0	भुगतान राशि
1	राखी कुमारी वर्ग– 8	श्री नरेश झा	284	700.00
2	शालिनी कुमारी , वर्ग– 6	श्री प्रदीप झा	285	700.00
3	खुशबू कुमारी, वर्ग– 6	श्री मदन मोहन झा	286	700.00

कुल – 2100.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि पोशाक मद में कुल रू0 2100.00 अनियमित व्यय किया गया था जिसे उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(7) रू0 47578.50 के सामग्रियों की क्रय पर अनियमित व्यय की राशि आपत्तिन्तर्गत :–

विद्यालय विकास एवं शिक्षण सामग्री (टी एल एम) मदों में प्राप्त राशि के व्यय की जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट 'ग' में उल्लिखित कुल रू0 47578.50 उपस्कर , लेखन सामग्री आदि की क्रय पर बिना कोटेशन प्राप्त किए ही किया गया था तथा उचित दर एवं गुणवतापूर्ण समाग्री क्रय करने तथा भंडार पंजी में सामग्रियों की प्रविष्टि का प्रमाणपत्र भी अंकित नही था। उक्त परिशिष्ट की क्रमांक –8 पर अंकित क्रय के अतिरिक्त अन्य सभी क्रय कच्चा पुर्जा के आधार पर दिखाया गया था। भंडार– पंजी संधारित नही किया गया था तथा क्रीत सामग्रियो के उपयोग या भौतिक उपलब्धता भी अंकेक्षण में प्रमाणित नही कराया गया । इस प्रकार बिना कोटेशन के कच्चे अभिश्रवों के आधार पर क्रय अंकित कर भंडार प्रविष्टि या सामग्रियों के उपयोग के व्यौरा के अभाव में उक्त व्यय संदेहात्मक प्रतीत हुआ।

अतः प्रशासी विभाग अपने स्तर से उक्त रू0 47578.50 उपस्कर एवं अन्य सामग्रियों की क्रय की छानबीन अंकेक्षण की अंशकाओं को दृष्टिपथ रखते हुए करायी जाय, अगर अन्यथा की स्थिति पायी जाती है तो संबंधित उत्तरदायी व्यक्ति पर विधि सम्मत कारवाई की जाय तथा परिणाम से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक उक्त रू0 47578.50 की व्यय आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(8) रू0 20700.00 लोक शिक्षण केन्द्रों के लिए सामग्रियों की क्रय पर अनियमित व्यय आपत्ति अन्तर्गत :–

लोक शिक्षण केन्द्रों को पाठ्य सामग्री हेतु प्राप्त राशि रू0 20700.00 दिनांक 18.4.06 को बैंक से निकासी कर व्यय पंजी में सामग्रियों की क्रय पर व्यय अंकित था जिसका विवरण परिशिष्ट 'घ' पर उल्लिखित है। उक्त सामग्रियों की क्रय कच्चा अभिश्रवों के आधार पर दिखाया गया था तथा भंडार प्रविष्टि का उल्लेख भी संबंधित अभिश्रवों पर अंकित नही था। चार लोक शिक्षण केन्द्रों के लिए उक्त सामग्रियों की क्रय दिखाया गया था किन्तु संबंधित लोक शिक्षण केन्द्रों को इन सामग्रियों की

आपूर्त्ति के प्रमाण में प्राप्ति रसीद भी नही था जिसके कारण उक्त व्यय की पुष्टी अंकेक्षण में नही हुई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण केन्द्रों का संचालन माह सितम्बर 2006 के बाद बंद कर दिया गया था इन केन्द्रों को आपूरित स्थायी सामग्री यथा पेटी आदि के संबंध में कोई जानकारी अंकेक्षण को नही दिया गया।

अतः उक्त रू0 20700.00 सामग्रियों की क्रय पर अनियमित व्यय करने, सामग्रियों की आपूर्त्ति के प्रमाण में संबंधित लोक शिक्षण केन्द्रों की प्राप्ति रसीद नही रहने तथा केन्द्र बंद हो जाने के उपरांत अवशेष सामग्रियों की जानकारी नही रहने के संबंध में छानबीन विभागीय सक्षम पदाधिकारी से कराकर वास्तविक स्थिति एवं उसके आधार पर आवश्यक कारवाई कर वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय। तबतक रू0 20700.00 उक्त व्यय की राशि आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(9) रू0 72000.00 लोक शिक्षण केन्द्र के शिक्षकों को मानदेय भुगतान राशि आपत्ति अर्न्तगत :–

दिनांक 11.4.06 को बैंक खाता से रू0 46700.00 निकासी की गयी राशि से श्री नन्टुन साह सहित कुल 4 लोक शिक्षकों को माह अक्टूबर 05 से मार्च 06 तक कुल 6 माह का रू0 1000.00 प्रति माह की दर से रू0 6000.00 प्रत्येक की दर से कुल 24000.00 तथा दि0 11.12.07 को रू0 50600. 00 बैंक से की गयी निकासी से श्री नन्टुन साह एंव अन्य कुल 8 लोक शिक्षकों को माह अप्रील 06 से सितम्बर 06 तक कुल 6 माह के लिए रू0 6000.00 प्रत्येक की दर से रू0 48000.00 अर्थात् कुल रू0 72000.00 (24000.00 +48000.00) मानदेय का नगद भुगतान किया गया था। लोक शिक्षाण केन्द्रों के उक्त शिक्षकों को मानदेय की स्वीकृति अनुमान्यता तथा उनके द्वारा लोक शिक्षण केन्द्र में कार्यरत रहने से संबंधित कोई कागजात अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिसके कारण उक्त रू0 72000.00 भुगतान के औचित्य का निर्धारण अंकेक्षण में नही हो सका।

अतः उक्त रू0 72000.00 लोक शिक्षको को मानदेय भुगतान की औचित्यता की छानबीन कर वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 72000.00 व्यय की उक्त राशि आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(10) रू0 2000.00 लोक शिक्षकों को टी एल एम मद में भुगतान राशि आपत्ति अन्तर्गत :–

दि0 11.4.06 को बैंक से रू0 46700.00 की निकासी की गयी राशि के व्यय में श्री नन्टुन साह एंव अन्य कुल 4 लोक शिक्षकों प्रत्येक को रू0 500.00 की दर से रू0 2000.00 नकद भुगतान टी एल एम (शिक्षण सामग्री) मद में भुगतान किया गया था। उक्त टी एल एम मद में लोक शिक्षकों को नकद राशि भुगतान करने संबंधी विभागीय निदेश अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त निकासी की गयी राशि से सभी चार लोक शिक्षण केन्द्रों को पाठ्य सामग्री भी क्रय कर आपूर्त्ति दिखायी गयी थी। जिसका उल्लेख प्रतिवेदन की कंडिका –8 में की गयी

है। ऐसी स्थिति में लोक शिक्षकों को टी एल एम मद में रू0 2000.00 नकद भुगतान का औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट नही हो सका।

अतः उक्त रू0 2000.00 भुगतान करने की औचित्यता की समीक्षा विभागीय स्तर पर कर ली जाय तथा वस्तुस्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक रू0 2000.00 की व्यय आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(11) रू0 3437.00 श्रोत पर वाणिज्य कर की कटौती नही किए जाने के कारण राजस्व की क्षति :–

सामग्रियों की क्रय से संबंधित अभिश्रवों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि आपूर्त्तिकर्त्ताओं के विपत्र से वाणिज्य कर की कटौती नही की गयी थी। बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली –2005 के नियम –28 के तहत् आपूर्त्तिकर्त्ताओं के विपत्र से श्रोत पर कर की कटौती विहित दर से कर उसे उचित शीर्ष में जमा करने का विधिक दायित्व व्ययन पदाधिकारी का है तथा इसका उल्लंधन करने वाले पदाधिकारी से उक्त नियमावली की नियम – 40 (5) के तहत् श्रोत पर कटौती करने योग्य राशि से दुगुनी राशि तक जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान है किन्तु उक्त नियमों का पालन नही किए जाने के कारण प्रतिवेदन की परिशिष्ट 'ड़' में आंकलित कुल रू0 3437.00 राजस्व क्षति हुई थी।

अतः श्रोत पर कर की कटौती नही करने के कारण राजस्व क्षति की राशि रू0 3437.00 की प्रतिपूर्त्ति जिम्मेवार व्यक्ति से करायी जाय एवं इस संबंध में की गयी कारवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम</u>

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0 –2

(2)

“ NISHU’’

परिशिष्ट –'क'
कंडिका –1(ट) से संबंधित

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :—

(अ) प्रस्तुत अभिलेख
वर्ष 06 —07 से 10—11 तक

1. व्यय पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
2. छात्रोपस्थिति पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
3. शिक्षकोपस्थिति पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
4. अभिश्रव वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
5. बैंक पासबुक वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
6. विद्यालय शिक्षा/प्रबंधकारिणी समिति की कार्यवाही पंजी।
7. अनुदान उपयोगिता प्रमाणपत्र (वर्ष 2010—11)

(आ) अप्रस्तुत अभिलेख
वर्ष 06 —07 से 10—11 तक

1. भंडार पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
2. रोकड़ पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
3. चेक प्राप्ति पंजी वर्ष 06 —07 से 10—11 तक
4. अनुदान प्राप्ति की प्रेषण पत्र

परिशिष्ट — 'ख'
कंडिका —3 (4) से संबंधित।

आय– व्यय विवरणी ।

वर्ष 2006–07

आय पक्ष		व्यय पक्ष	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भण शेष 1.4.06	64960.00	लोक शिक्षण केन्द्र के शिक्षकों को मानदेय	24000.00
अनुदान– विद्यालय रखरखाव	14000.00	लोक शिक्षण केन्द्र के शिक्षण सामग्री हेतु	2000.00
विद्यालय विकास	5000.00	लो0 शि0 केन्द्रों को शिक्षण सामग्री आपूर्ति	20700.00
शिक्षण सामग्री	2000.00	विद्यालय हेतु उपस्कर	15000.00
विद्यालय के खपड़ा बिक्री से आय	600.00	विद्यालय हेतु आलमारी क्रय एंव छत मरम्मति	10600.00
		विद्यालय भवन की पोताई बैंक कमीशन	2500.00 30.00
		संवरण शेष (31.03.07)	11730.00
कुल योग	86560.00	कुल योग	86560.00

वर्ष 2007–08

आय पक्ष		व्यय पक्ष	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भण शेष	11730.00	भवन निर्माण योजना राशि की वापसी	450000.00
भवन निर्माण योजना	450000.00	शिलापट्ट हेतु क0 अभियंता को भुगतान	2500.00
लोक शिक्षकों को मानदेय	48000.00	लोक शिक्षकों को मानदेय	48000.00
मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना	53900.00	बालिका पोशाक योजना	53900.00
बैंक से सूद प्राप्ति	2254.00	विद्यालय– शिक्षण सामग्री क्रय बरामदा मरम्मति आदि रेडियों की खरीद	2000.00 600.00 1000.00
		बैंक द्वारा डाक– व्यय	90.00
		संवरण शेष (31.03.08)	7794.00
कुल योग	565884.00	कुल योग	565884.00

वर्ष 2008–09

आय पक्ष	व्यय पक्ष

विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भण शेष	7794.00	विद्यालय भवन मरम्मति	5000.00
मध्याहन् योजन मद	29700.00	विद्यालय शिक्षण सामग्री	1500.00
मध्याहन् भोजन का बर्त्तन	5000.00	बैंक द्वारा डाक– व्यय	90.00
विद्यालय विकास	4000.00	संवरण शेष (31.03.09)	42850.00
विद्यालय शिक्षण सामग्री	1500.00		
बैंक से सूद प्राप्ति	1446.00		
कुल योग	49440.00	कुल योग	49440.00

वर्ष 2009—10

आय पक्ष		व्यय पक्ष	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भण शेष	42850.00	बालिका पोशाक योजना	60200.00
बालिका पोशाक योजना	60200.00	बैंक द्वारा डाक– व्यय	60.00
बालिका पोशाक योजना	67900.00	संवरण शेष (31.03.10)	112140.00
बैंक से सूद प्राप्ति	1450.00		
कुल योग	172400.00	कुल योग	172400.00

वर्ष 2010—11

आय पक्ष		व्यय पक्ष	
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारम्भण शेष	112140.00	बालिका पोशाक योजना	67900.00
मध्याहन् योजना योजना	74564.00	विद्यालय विकास	7000.00
मध्याहन् योजना अनुश्रवण पट्ट	800.00	विज्ञान कीटस	11000.00
विद्यालय विकास	7000.00	मध्याहन् योजन योजना का बर्त्तन	5000.00
विज्ञान कीट्स	11000.0	विद्यालय भवन मरम्मति	5000.00
विद्यालय रखरखाव	5000.00	शिक्षण सामग्री (टी0 एल0 एम0)	1000.00
शिक्षण सामग्री (टी0 एल0 एम0)	1000.00	बैंक द्वारा डाक– व्यय	90.00
बैंक से सूद प्राप्ति	536.00	संवरण शेष (31.03.11)	115050.00
कुल योग	212040.00	कुल योग	212040.00

परिशिष्ट —'ग'
कंडिका —'7' से संबंधित

सामग्रियों की अनियमित क्रय से संबंधित विवरणी

क्र0 सं0	बैंक से रकम निकासी राशि एवं तिथि	विक्रेता का नाम	केश मेमो/क्रय की तिथि	सामग्री	दर	अदद	मूल्य	अभ्युक्ति
1	15000.00/ 5.05.06	1 अंकित नही 2 राम अयोध्या शर्मा वंसतपट्टी, शिवहर	25.6.06 –	जूट मैट डेस्क बेंच भाड़ा	75.00 890.00	20 15 सेट	1500.00 13350.00 150.00 15000.00	कच्चा पुर्जा पर अभिश्रव ʻʻ
2	5000.00/ 1.09.06 5000.00/ 05.09.06	1 मे0 सीतराम ओम0 सीतामढ़ी 2 मे0 न्यू भारत स्टील फर्नीचर, सीता0	555/ 08.09.06 – 8.09.06	जी0 सी0 सीट स्टील अलमीरा	385.00	15 पीस 1 पीस	5775.00 4000.00 9775.00	साइज अंकित नही। कच्चा पुर्जा के आधार पर व्यय आलमारी का व्यौरा अंकित नही।
3	50600.00/ 15.06.07	जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	– 16.06.07	पुस्तक एवं लेखन सा0	–	–	1602.50	कच्चा पुर्जा पर व्यय
4	1000.00/ 28.12.07	मे0 दूरदर्शन , सीतामढ़ी	– 29.12.07	फिलीप्स रेडियों	–	1	995.00	एसटीमेंट अंकित पुर्जा के आधार पर व्यय।
5	6500.00/ 14.10.08	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	– अंकित नही	पुस्तक एवं स्टेशनरी	–	–	1206.00	कच्चा पुर्जा पर व्यय।
6	52900.00/ 16.07.10	राज कुमार ठाकुर	अंकित नही	खिड़की	–	1	2000.00	खिड़की का विवरण नही कच्चा पुर्जा पर

								कम
7		जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	— 29.12.10	कार्डबोर्ड आदि	—	—	1000.00	कच्चा पुर्जा पर अभिश्रव था।
8	14000.00 / 28.12.10	मे0 राजीव इन्टर प्राईजेज, मुजफ्फरपुर	24 29.12.10	विज्ञान कीटस गणित कीट्स	—	1 1	7500.00 3500.00 11000.00	
9	5000.00 / 15.02.11	मे0 बालजी इन्टर प्राईजेज, सीतामढ़ी	— 22.02.11	बर्त्तन आदि	—	—	5000.00	कच्चा पुर्जा के आधार पर व्यय।

कुल—47578.50

परिशिष्ट —'घ'
कंडिका — '8' से संबंधित।

सामग्रियों की प्राप्ति रसीद के बिना कच्चा पुर्जा के आधार पर लोक शिक्षण केन्द्रों के लिए सामग्रियों की क्रय अंकित की विवरणी :–

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	कैश मेमो सं0 / क्रय की तिथि	सामग्री	अदद	दर	मूल्य	अभ्युक्ति
	1 लोक शिक्षण केन्द्र ससौला हरिजन टोला वार्ड न0 –7 के लिए						
1	मे0 विकास स्टील, सीतामढ़ी	169 / 21.04.06	स्टील जग स्टील ग्लास	1 2	15 /=	65.00 30.00 95.00	
2	मे0 नील कमल	21.04.06	चेयर	1	–	250.00	
3	मे0 संजय स्टील, सीतामढ़ी	21.04.06	बक्सा स्टील	1		120.00	
4	राजेश्वर प्रसाद	21.04.06	झोला	40	10	400.00	
5	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	21.04.06	कॉपी, स्लेट आदि			4018.00	सामग्रियों का नाम स्पष्ट अंकित नही था।
6	मे0 गुप्ता बुक डिपो, सीतामढ़ी	21.04.06	स्लेट, पेन्सील आदि			447.00	
7	मे0 लाल हार्डवेयर, सीतामढ़ी	21.04.06	खल्ली			20.00	

कुल – 5350.00

2. लोक शिक्षण केन्द्र घरवारा वृता टोला , वार्ड – 6

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	कैश मेमो सं0 / क्रय की तिथि	सामग्री	अदद	दर	मूल्य	अभ्युक्ति
1	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	– / 20.4.06	कॉपी आदि	–	–	4750.00	सामग्रियों का नाम स्पष्ट अंकित

							नही।
2	मे0 जय विश्वकर्मा स्टील सीतामढ़ी	—/ 20.4.06	पेटी	1	—	400.00	

कुल — 5150.00

3. लोक शिक्षण केन्द्र विष्णुपुर कामदेव।

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	कैश मेमो सं0/क्रय की तिथि	सामग्री	अदद	दर	मूल्य	अभ्युक्ति
1	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	—/ 21.4.06	कॉपी, स्लेट आदि	—	—	5450.00	सामग्रियों का नाम स्पष्ट अंकित नही।

4. लोक शिक्षण केन्द्र — ससौला, वार्ड— 10

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	कैश मेमो सं0/क्रय की तिथि	सामग्री	अदद	दर	मूल्य	अभ्युक्ति
1	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	—/21.4.06	कॉपी स्लेट आदि	—	—	4599.50	सामग्रियों का नाम स्पष्ट अंकित नही।
2	अंकित नही	—	छोटा बॉक्स	1	—	150.50	सादा कागज पर बना पुर्जा के आधार पर व्यय।

कुल — 20700.00

परिशिष्ट — 'ड़'

कंडिका –11 से संबंधित
आपूर्तिकर्त्ता के विपत्रों से वाणिज्य कर की कटौती नही करने के कारण राजस्व क्षति की विवरणी।

क्र0 सं0	व्यय हेतु बैंक से निकासी की तिथि	विक्रेता का नाम	बीजक सं0/तिथि	सामग्री	मूल्य	वैट की विहित दर	कर की राशि	अभ्युक्ति
1	05.05.06	अंकित नही	–/25.06.06	जूट मैट	1500.00	4 प्रतिशत	58.00	कच्चा पुर्जा पर क्रय।
2	05.05.06	मे0 विश्वकर्मा इन0 बर्क्स, वसंतपट्टी	–	डेस्क बैंच	13350.00	12.5 प्रतिशत	1483.00	,,
3	05.09.06	मे0 न्यू भारत स्टील फर्नीचर, सीतामढ़ी	–/8.09.06	स्टील अलमारी	4000.00	12.5 प्रतिशत	444.00	,,
4	28.12.10	मे0 जानकी बुक डिपो, सीतामढ़ी	–/29.12.10	कार्ड बोर्ड आदि	1000.00	4 प्रतिशत	38.00	,,
5	28.12.10	मे0 न्यू राजीव इन्टर प्राइजेज मुजफ्फरपुर	24/29.12.10	विज्ञान एवं मैथ कीट्स	11000.00	12.5 प्रतिशत	1222.00	12.5 प्रतिशत वैट सहित मूल्य रहने का उल्लेख बीजक में अंकित।
6	15.02.11	मे0 बालाजी इन्टरप्राईजेज, सीतामढ़ी	–/22.02.11	वर्त्तन (अल्युमुनियम)	5000.00	4 प्रतिशत	192.00	कच्चा बीजक।

कुल – 3437.00